

न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं०-114 सन् 2023

भगवान शर्मा वगैरह.....वादीगण।

बनाम

राजगीर शर्मा वगैरह.....प्रतिवादी।

दिनांक- 16.12.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 39 नियम 7 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 02.12.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वादीगण ने यह वाद अदालत से डिक्री तकसीमी ब कदर 1/3 निस्वत जयदाद मुन्दर्जे सिडियुल नं० 01 अर्जीनालिश बहक वादीगण सादीर फरमाकर बतैनाती सर्वे जानकार कमिश्नर टुकड़ा-टुकड़ा बटवाकर वादीगण का अलग हेतु वो अन्य परितोष हेतु दाखिल किया है। इसी बीच प्रतिवादी को वाद की जानकारी हो जाने के बावजूद तकरारी एराजी का स्वरूप बदलने पर अमादे हैं वो निर्माण कार्य करने को तत्पर है। यह वाद से संबंधित भूमि पर प्रतिवादी निर्माण कार्य करने हेतु निर्माण सामग्री ईट, बालू, सिमेन्ट एकत्रित कर लिए है। जिसके लिए तकरारी एराजी का वस्तु स्थिति न्यायालय के समक्ष आना जरूरी है। इस वाद में किसी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर तकरारी एराजी के निष्पत वस्तु स्थिति आना जरूरी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि इस वाद में किसी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करने की कृपा प्रदान की जाए।

उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण अभी उपस्थित नहीं हुए हैं।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर तकरारी एराजी की वर्तमान वस्तुत स्थिति अभिलेख पर लाने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी को वाद की जानकारी हो जाने के बावजूद तकरारी एराजी का स्वरूप बदलने पर अमादे हैं वो निर्माण कार्य करने को तत्पर है तथा इस वाद से संबंधित भूमि पर प्रतिवादी निर्माण कार्य करने हेतु निर्माण सामग्री ईट, बालू, सिमेन्ट एकत्रित कर लिए है। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप

अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 02.12.2023 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 3000/-रुपया नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री उमेश प्रसाद सिंह को नियुक्ति किया जाता है।

वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज
सोनपुर, सारण।